



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 105]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 मार्च 2015—फाल्गुन 14, शक 1936

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ 9-2-2012-आ. प्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 2 में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(ग) “भूतपूर्व सैनिकों” से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसने संघ सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में सेवा की हो और,—

(एक) जिसे 1 जुलाई, 1968 से पूर्व अवचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(दो) प्रमाणीकरण के पश्चात् लगातार छह मास से अन्यून की कालावधि के लिये और अवचार या अदक्षता के कारण 1 जुलाई, 1968 को या उसके पश्चात् किन्तु 30 जून, 1979 के पूर्व पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(तीन) जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के सशस्त्र बल सम्मिलित हैं किन्तु असम राइफल्स, डिफेंस सिक्योरिटी कार्पस, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना एवं टैरीटोरियल आर्मी को छोड़कर जिसने प्रमाणीकरण के पश्चात् लगातार छह मास से अन्यून की कालावधि के लिये सेवाएं दी हों और जो 1 जुलाई, 1979 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 1987 के पूर्व अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो और कोई व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण की हो तथा जिसे भूतपूर्व सैनिक के रूप में अपने स्वयं के अनुरोध पर निर्मुक्त किया गया हो;

(चार) भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना एवं वायुसेना में, कोई भूतपूर्व सैनिक, जिसने पेंशन/विकलांगता पेंशन अर्जित की हो, जिसे स्थापना में कमी के फलस्वरूप 1 जुलाई, 1987 को ऐसी सेवा अपने स्वयं के अनुरोध से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या कोई व्यक्ति जिसे वचनबंध एवं अर्जित उपदान की विशिष्ट कालावधि के पूर्ण हो जाने के पश्चात् निर्मुक्त किया गया हो जिसमें प्रादेशिक सेवा के पेंशनधारक/विकलांगता पेंशनधारक/शौर्य अलंकरण विजेता सम्मिलित हैं :

परंतु जो भूतपूर्व सैनिक कदाचार या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किया गया हो वह भूतपूर्व सैनिक होने के लिये स्थायी रूप से निरर्हित होगा।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2015

क्र. एफ 9-2-2012-आ. प्र.-एक.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-2-2012-आ. प्र.-एक, दिनांक 5 मार्च 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. गजभिये, उपसचिव.

Bhopal, Dated 5th March 2015

No. F-9-2-2012-RC-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the State Civil Services and Post Class-III and Class IV) Rules, 1985, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 2, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

“(c) 'Ex-servicemen' means a person who has served in any rank (whether as a combatant or non-combatant) in the Armed Forces of the Union, including the Joint Armed Forces of the Former Indian States and,—

- (i) has been released before 1st July, 1968 by way of dismissed or discharge on account of misconduct or inefficiency;
- (ii) for a continuous period of not less than six-months after attestation and has been released on or after 1st July, 1968 but before 30th June, 1979, by way of dismissal or discharged on account of misconduct or inefficiency;
- (iii) includes the Armed Forces of the Former Indian States but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Lok Sahayak Sena and Territorial Army for a continuous period of not less than six months after attestation and has been released on or after 1st July, 1979 but before 1st July, 1987 otherwise than at his own request and any person, who has completed five years of service in the Armed Forces of the Union and may be released on his own request is an ex-servicemen;
- (iv) in Regular Army, Navy and Air Forces of the Indian Union, an ex-servicemen, who has earned his pension/disability person, who has been released on or 1st July, 1987 otherwise then on his own request from such service as a result of reduction in establishment or a person who has been released after completing the specific period of engagement and earned gratuity, includes pensioners/disability pensioners/gallantry Award winner from Territorial Army :

Provided that/Ex-servicemen released from service by way of dismissed or discharge on account of misconduct or inefficiency, he will have permanent disqualification to become an Ex-servicemen.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. GAJBHIYE, Dy. Secy.